आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

घर-घर औषधि योजना

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ(142)FCA/उवसं / 2022 / दिनांकः

निमित्तः– Engineer, अवाडा ऐनर्जी प्राईवेट लिमिटेड,
सोलर प्लान्ट, ग्राम नोखडा,
तहसील कोलायत जिला बिकानेर
राजस्थान पिन – 334 303

विषयः– Avaada Energy Pvt Ltd Solar Power Plant in Kolayat Tehsil, Bikaner- Bhadla-II PS 220 KV S/C Transmission Line (Total Route Length 22.730 Kms) Proposal No FP/RJ/TRANS/150764/2022, Area : 0.9625 Hectare

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी–राज 030 / 2022–जे.पी.आर दिनांक 13.06.2022 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी–राज030 / 2022–जेपीआर दिनांक 13.06.2022 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 0.9625 Ha. for Construction of Avaada Energy Pvt Ltd Solar Power Plant in Kolayat Tehsil, Bikaner- Bhadla-II PS 220 KV S/C Transmission Line (Total Route Length 22.730 Kms) Proposal No FP/RJ/TRANS/150764/2022 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तो की भी पालना / वचनबद्धता रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:–

<u>बिन्दु अ</u>

बिन्दु संख्या 1– प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का क्षतिपूरक वृक्षारोपण (0 नग वृक्ष × 10 = 100 नये वृक्ष) एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रूपये 1,78,000/-(अक्षरे एक लाख अठहत्तर हजार रूपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में ई–चालान के द्वारा जमा करावे।एवं साथ ही भविष्य में अगर क्षतिपुरक वृक्षारोपण की दर में बढोतरी होने पर बढी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

बिन्दु संख्या 2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार तथा भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दर पत्रांक 5–3 / 2011–एफसी (वोल्युम–1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार Open Forest NPV@ 6,70,140 = 0.9625X6,70,140 रूपये = 6,45,010/-(अक्षरे छः लाख पैतालीस हजार दस रूपये मात्र) रूपये ई–चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होने पर बढी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

कृ0पृ0उ0

Scanned with CamScanner

बिन्दुसंख्या 4 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 6,40,000/- (अक्षरे छः लाख चालीस हजार रूपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त राशि की दर में बढोतरी होने पर बढी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओ पार्ट अ के 3, 5 से 7 एवं पार्ट बी के बिन्दु संख्या 1 21 तक की बिन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई–चालान द्वारा ऑन लाइन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या अंकित करने के साथ उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एंव अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ फाईल/फोल्डर बनाकर इस कार्यालय में उपलब्ध करावें, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश कुमार मालपानी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

कमांकः सम/
दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner